भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 3346

गुरूवार, 31 मार्च, 2022/10 चैत्र, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन और अतिथि-सत्कार क्षेत्र का विकास

3346. श्री एस. सेल्वागनबेथीः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि भारत को पर्यटन और अतिथि-सत्कार क्षेत्र की संभावनाओं का दोहन करने के लिए एक व्यापक नवोन्मेषी कार्यनीति बनाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार रखती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग): जी, हां महोदय। देश में पर्यटन की बुनियादी संरचना की स्थिति में सुधार करने, पर्यटन उद्योगों को समर्थन प्रदान करने, पर्यटन सहायता कार्यों को मजबूत करने और पर्यटन के विभिन्न उप-क्षेत्रों को विकसित करने के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों और उद्योग हितधारकों के साथ साझेदारी में एक सक्षम नीतिगत तंत्र और रणनीतिक योजना बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय पर्यटन नीति का मसौदा तैयार किया है।

पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र की संभावनाओं का दोहन करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित/की जा रही पहल/ उपाय **अनुबंध** में दिए गए हैं।

****

अनुबंध

पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास के संबंध में दिनांक 31.03.2022 को राज्य सभा के लिखित प्रश्न संख्या 3346 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में **विवरण।**

1. **राष्ट्रीय पर्यटन नीति के मसौदे के तहत निम्नलिखित पहलों का प्रस्ताव किया गया है: -**

(i). निम्नलिखिति पर राष्ट्रीय मिशनों की स्थापना:-

(क) पर्यटन क्षेत्र में स्थिरता को मुख्यधारा में लाने के लिए हरित पर्यटन।

(ख) पर्यटन क्षेत्र में डिजिटलीकरण का संवर्धन करने के लिए डिजिटल पर्यटन।

(ग) पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में कौशल विकास और क्षेत्रीय विकास रणनीतियों के बीच तालमेल बनाने के लिए कौशल तंत्र की स्थापना।

(घ) गंतव्य प्रबंधन के लिए एक तंत्र विकसित और कार्यान्वित करने के लिए गंतव्य प्रबंधन संगठनों की की स्थापना।

(ड़) रोजगार और उद्यमशीलता के अवसर पैदा करने और पर्यटन के विकास में योगदान करने के लिए पर्यटन क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की स्थापना।

(ii). इसके अलावा, निम्नलिखित रणनीतिक क्षेत्रों को मजबूत करने का प्रस्ताव किया गया है: -

(क) वीजा, आप्रवासन और सीमा शुल्क से संबंधित प्रक्रियाओं को और अधिक दक्ष एवं प्रभावी बनाने के उपायों को आरम्भ करना ।

(ख) भारत को एक स्वागतकर्ता स्थल, सुरक्षित, स्वच्छ और स्वास्थ्यकर गंतव्य बनाना।

(ग) निर्बाध कनेक्टिविटी और परिवहन आधारभूत संरचना प्रदान करना ।

(घ) नियोजित तरीके से पर्यटन स्थलों का विकास और प्रचार-प्रसार करना।

(ड़) पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना।

(च) एक सुसंगत विपणन और प्रचार रणनीति बनाना।

(छ) गुणवत्ता आश्वासन और मानकीकरण के लिए एक मजबूत तंत्र की स्थापना करना।

(ज) उद्योग और सरकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुसंधान और विकास रणनीतियां बनाना।

(झ) शासन, संस्थागत संबंध और हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

(ट) उत्पाद विशिष्ट व्यापक रोडमैप तैयार करना।

2. उपरोक्त के अलावा सरकार द्वारा पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में प्रोत्साहन एवं विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

(i). गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कोविड-संबंधी दिशानिर्देशों के अधीन पर्यटन उद्देश्यों के लिए भारत आने वाले सभी विदेशी नागरिकों के लिए प्रतिबंध में छूट प्रदान की है। 15 नवंबर, 2021 से ई-पर्यटक वीजा/ पर्यटक वीजा उन सभी एकल विदेशी नागरिकों के लिए पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है जो पर्यटन उद्देश्यों के लिए भारत आने का इरादा रखते हैं। प्रारंभ में, ई-पर्यटक/पर्यटक वीजा 30 दिनों की वैधता के साथ जारी किए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने 15.03.2022 से दीर्घकालिक पर्यटक वीजा [ई-पर्यटक वीजा और नियमित (कागजी) पर्यटक वीजा] में और छूट प्रदान करते हुए इसे बहाल कर दिया है। इसके अलावा, भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए पहले 500,000 मुफ्त वीजा की घोषणा की है।

(ii). इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि पर्यटन क्षेत्र में पुनरुद्धार बड़े पैमाने पर घरेलू पर्यटन द्वारा ही किया जा सकता है, पर्यटन मंत्रालय ने जनवरी 2020 में नागरिकों के बीच देश की समृद्ध विरासत और संस्कृति के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से "देखो अपना देश" (डीएडी) नामक पहल शुरू की है ताकि नागरिकों को देश के भीतर व्यापक रूप से यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो सके जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास हो और स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन हो। यह पहल माननीय प्रधान मंत्री के 15 अगस्त 2019 के संबोधन के अनुरूप है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को घरेलू पर्यटन के संवर्धन के लिए वर्ष 2022 तक देश के कम से कम 15 गंतव्यों की यात्रा करने के लिए कहा गया है।

(iii). इस पहल के तहत मंत्रालय देश की विविध संस्कृति, विरासत, स्थलों और पर्यटन उत्पादों को प्रदर्शित करते हुए "देखो अपना देश" के समग्र विषयों के तहत वेबिनार/कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का आयोजन कर रहा है। इस पहल के एक हिस्से के रूप में अब तक विभिन्न राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों को कवर करते हुए 121 वेबिनार आयोजित किए जा चुके हैं।

(iv). जन जागरूकता पैदा करने के लिए, मंत्रालय ने "माईगोव" प्लेटफॉर्म पर एक ऑनलाइन "देखो अपना देश" प्रतिज्ञा और प्रश्नोत्तरी भी शुरू की है। ऑनलाइन प्रतिज्ञा और प्रश्नोत्तरी सभी के लिए भागीदारी करने हेतु खुले हैं।

(v). "देखो अपना देश" पहल को मंत्रालय के सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइट और घरेलू भारत पर्यटन कार्यालयों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रचारित किया जा रहा है।

******